किस्म मुकदमा ......दावा...... मुकदमा नं.............................. सन.....................

38
30-4-18

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30-4-18	यह दावा श्री रामसिंह मीना Adv ने पेश किया गया। रिपोर्ट अहलमद का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर होकर इत्तला प्रति० की जाकर पत्रावली दिनांक 8/5/18 को पेश हो [signature] उप जिला कलक्टर बामनवास (स० मा०)	
8/5/18	उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है / अवकाश पर है / का पद रिक्त है। पत्रावली मय / आदेशानुसार दिनांक 31-7-18 को पेश हो। [signature] रीडर	
12/6/18	आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प ग्रा०प० बरनाला पर पेश हुई। वकील वादी / प्रतिवादी उप०। वादी एवं प्रतिवादी स्वयं उप०। वादी, प्रतिवादी ने की ओर से राजीनामा पेश कर वादी का दावा के अनुसार डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया। राजस्व लोक अदालत में वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया मुताबिक राजीनामा वादीगण का दावा डिक्री किया जाता है। डिक्री पृथक से लिखाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे [signature] उप जिला कलक्टर बामनवास (स० मा०)	प्रतिवादीगण [illegible] [illegible] [illegible] रामचरण [illegible] [illegible] वादी - अशोक कुमार [illegible] नरसी राम [signature]

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास, शिविर बरनाला

पीठासीन अधिकारीः रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. अशोक कुमार,
2. कमल चंद एवं
3. नरसीराम,

सभी पुत्रगण हरिराम, जाति मीना निवासी बरनाला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर,

वादीगण

बनाम

1. जयराम,
2. भजन,
3. रमेश,
4. रामचरण,
5. हेमराज,

सभी पुत्रगण श्रीकिशन, सभी जाति मीना निवासी बरनाला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

6. श्रीकिशन पुत्र कन्हैया लाल, जाति मीना निवासी बरनाला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर,
7. तहसीलदार जरिये लैण्ड होल्डर, बामनवास

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी,

विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 38/2018

वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित । आज दिनांक 12/6/2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए यह वाद पत्र पेश होने पर वादीगण अशोक, कमलचंद व नरसीराम, सभी पुत्रगण हरिराम, जाति मीना निवासी बरनाला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण जयराम, भजन, रमेश रामचरण, हेमराज पुत्रगण श्रीकिशन एवं श्रीकिशन पुत्र कन्हैया

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

लाल, सभी जाति मीना निवासी बरनाला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर दोनों पक्षकारों की ओर से पेश किए गए संयुक्त सहमति पत्र के आधार पर स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि,

1. ग्राम बरनाला, तहसील बामनवास स्थित आराजी खसरा नम्बर 1663 रकवा 0.5 हैक्टेयर, 1664 रकवा 1.70 हैक्टेयर, 1665 रकवा 0.82 हैक्टेयर, 1666 रकवा 0.92 हैक्टेयर, 1667 रकवा 0.98 हैक्टेयर, 1719/2130 रकवा 0.27 हैक्टेयर, 1861 रकवा 0.84 हैक्टेयर, 1862 रकवा 1.02 हैक्टेयर, 1863 रकवा 0.63 हैक्टेयर, 1882 रकवा 0.96 हैक्टेयर, 1883 रकवा 0.34 हैक्टेयर, 1885 रकवा 0.18 हैक्टेयर, 2450/1465 रकवा 0.30 हैक्टेयर, 2465/1668 रकवा 0.54 हैक्टेयर, एवं रकवा 1439/2219 रकवा 0.04 हैक्टेयर, कुल किता 15 रकवा 10.04 हैक्टेयर में से आराजी खसरा नम्बर 1862 रकवा 1.02 हैक्टेयर, 1863 रकवा 0.32 हैक्टेयर, 2465/1668 रकवा 0.14 हैक्टेयर, 1667/2 रकवा 0.09 हैक्टेयर, कुल किता 4 रकवा 1.57 हैक्टेयर भूमि वादीगण के पिता स्व. हरीराम के हिस्से में आई होने के कारण तथा हरीराम के निधन के कारण व वादीगण का स्व. हरीराम के वारिसान होने के आधार पर उपरोक्त वर्णित आराजियात् का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है, उक्त आराजियात् की खातेदारी वादीगण के हक में खोली जावे,

2. इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजियात् में से भजन लाल के हिस्से में आई आराजी खसरा नम्बर 1862 रकवा 0.96 हैक्टेयर, आराजी खसरा नम्बर 1664/1 रकवा 0.61 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकवा 1.57 हैक्टेयर विभक्त की जाकर भजन लाल को उक्त आराजियात् का खातेदार घोषित किया जाता है, उक्त वर्णित आराजियात् की खातेदारी भजन लाल के पक्ष में खोली जावे,

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

3. इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजियात् में से आराजी खसरा नम्बर 1666 रकवा 0.51 हैक्टेयर, आराजी खसरा नम्बर 1667 रकवा 0. 66 हैक्टेयर, 2465/1668 रकवा 0.40 हैक्टेयर, कुल किता 3 रकवा 1.57 हैक्टेयर जयराम के हिस्से में आई होने से जयराम को उक्त आराजियात् का खातेदार घोषित किया जाता है, उक्त वर्णित आराजियात् की खातेदारी जयराम के पक्ष में खोली जावे,

4. इसी प्रकार से उपरोक्त वर्णित आराजियात् में से खसरा नम्बर 1663 रकवा 0.50 हैक्टेयर, 1665 रकवा 0.82 हैक्टेयर, 1883 रकवा 0.34 हैक्टेयर, 1885 रकवा 0.18 हैक्टेयर, 1861 रकवा 084 हैक्टेयर, 1863 रकवा 0.31 हैक्टेयर, 1864 रकवा 1.08 हैक्टेयर, 1666 रकवा 0.41 हैक्टेयर, 1667 रकवा 0.23 हैक्टेयर, कुल किता 9 कुल रकवा 4.71 हैक्टेयर संयुक्त रूप से रमेश चंद, रामचरण व हेमराज के संयुक्त हिस्से में आने के आधार पर रमेश चंद, रामचरण व हेमराज को संयुक्त रूप से उक्त वर्णित आराजियात् का खातेदार घोषित किया जाता है, उक्त वर्णित आराजियात् की खातेदारी रमेश चंद, रामचरण व हेमराज के पक्ष में खोली जावे,

5. इसी प्रकार खसरा नम्बर 1664/2 रकवा 0.01 हैक्टेयर नहरी चाह में भजन लाल का 1/2 हिस्सा एवं रमेश चंद, रामचरण व हेमराज का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा घोषित किया जाकर इसी अनुसार संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है,

6. आराजी खसरा नम्बर 719/2130 रकवा 0.27 हैक्टेयर किस्म नहरी में से जयराम, भजन लाल, रमेश चंद, रामचरण, हेमराज का 5/6 हिस्सा रहा होने के आधार पर उनको 5/6 हिस्से का संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है तथा वादीगण अशोक कुमार, कमल चंद, नरसीराम का 1/6 होने के आधार पर उनको 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया

अप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

जाता है,

7. प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से में आई भूमि के उपयोग, उपभोग व प्रयोग में वादीगण को किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करावें ।

8. प्रतिवादी संख्या 7 को आदेश दिया जाता है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन करावे । दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत किया गया सहमति पत्र डिक्री का भाग रहेगा ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 12/6/2018 को जारी की गई ।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)
(रामकिशोर मीना)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास
शिविर बरनाला

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	